न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बैतूल, म.प्र.

{समक्ष : श्रीमती कीर्ति कश्यप}

आप.प्रकरण : 3923/2014

संस्थापन : 30.09.14

मध्य प्रदेश शासन,
द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी गवासेन (सामान्य),
वनमंडल पश्चिम बैतूल/उपवनमंडल अधिकारी,
चिचोली (सामान्य),
जिला बैतूल, मध्य प्रदेश **–– अभियोजन**

बनाम

01} **सम्मल पिता परसू गोंड**
आयु 31 वर्ष,

02} **बकस पिता सूरत गोंड,**
आयु 35 वर्ष,
निवासीगण–बालाडोंगरी, थाना बीजादेही,
जिला बैतूल, मध्य प्रदेश

03} **रामपाल पिता प्रेमलाल गोंड,**
आयु 25 वर्ष,
निवासी–पाटाखेड़ा, इमलीखेड़ा, थाना चिचोली,
जिला बैतूल, मध्य प्रदेश **–– अभियुक्तगण**

अभियोजन द्वारा	:	श्री अमित राय, ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण द्वारा	:	श्री अजीतसिंह कुशवाह, अधिवक्ता।

।। निर्णय ।।

{आज दिनांक : 20.09.2017 को पारित}

01} अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा **9, 39 सहपठित धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम** के तहत यह आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 06.07.2014 को वन परिक्षेत्र बालाडोंगरी सामान्य पश्चिम बैतूल सामान्य में वन्य प्राणी मोर जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के भाग तीन में विनिर्दिष्ट प्राणी होकर

शासकीय संपत्ति है, का अवैध रूप से शिकार कर उसका मांस अपने आधिपत्य में रखे पाए गए।

02} अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि गवासेन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आरएफ 37 बीट टांडा के अंतर्गत पूर्व दिशा की ओर भांजी नदी पड़ती है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। भाजी नदी में वर्ष भर पानी रहने से अक्सर वन्य प्राणी एवं पक्षी क्षेत्र में रहते हैं। दिनांक 06.07.14 को वनग्राम बालाडोंगरी के सम्मल वल्द परसू गोंड द्वारा अपने साथी बकस वल्द सूरत एवं रामपाल वल्द प्रेमलाल गोंड के साथ संयुक्त रूप से योजना बनाकर राष्ट्रीय पक्षी मोर को बंदूक से शिकार कर मारा एवं घटनास्थल पर पंख उखाड़कर उसे अपने घर जाकर बनाकर खाया। खाने के पश्चात शेष बना मोर मांस घर पर छोड़ा। विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रकरण की जांच हेतु मौके पर जांच कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 813/74 दिनांक 06.07.14 पंजीबद्ध किया जो वन्य प्राणी संरक्षण अधनियम 1972 की धारा 09 एवं 51 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(i)(झ) के अंतर्गत दंडनीय गंभीर अपराध है। इस वन अपराध में राष्ट्रीय पक्षी को मारा एवं बनाकर खाया, मोर मारने में बिना लायसेंस की बंदूक का उपयोग किया जाना पाया गया। घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच के दौरान मौका पंचनामा प्र.पी.01, 02, 03, 10 लगायत 13, जप्तीनामा प्र.पी.04, 05 एवं 09 तैयार किए गए। आरोपीगण के बयान प्र.पी. 06, 07 एवं 08 लेखबद्ध किए गए जिनमें अभियुक्तगण ने जंगली जानवर का शिकार करने की योजना के अंतर्गत मोर को बंदूक से मारकर खाना स्वीकार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अन्य संपूर्ण विवेचना के उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

03} मेरे द्वारा आरोपीगण को निर्णय की कंडिका **''01''** अनुसार आरोपपत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर आरोपीगण द्वारा अपराध करने से इन्कार

कर स्वयं को निर्दोष होना बताया गया, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

04} प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह हैं कि : –

1. ''क्या अभियोजनीय घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी मोर का मांस अपने आधिपत्य में रखे पाए गए ?''
2. ''क्या आरोपीगण द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के भाग तीन में विनिर्दिष्ट प्राणी वन्य प्राणी मोर का अवैध रूप से शिकार किया ?''

<u>निष्कर्ष के आधार</u> : –

05} प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी राजकुमार वरकड़े अ.सा.01, विजय कुमार अ.सा.02, एम.एस.सिसोदिया अ.सा.03, बिसराम परते अ.सा.04 शिवदयाल अ.सा.05, गोलमन भलावी अ.सा.06, कैलाश झारिया अ.सा.07 का परीक्षण कराया है। अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

<u>सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष</u> : –

06} उक्त दोनों विचारणीय बिंदु एक दूसरे से अंतर्सम्बंधित हैं जिस कारण तथ्य एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में अभियोजन कथानक अनुसार मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्तगण सम्मल, बकस एवं रामपाल के निवास स्थान में तलाशी लिये जाने पर उनके घर से वन्य प्राणी मोर का पका हुआ मांस, एक दुक्कस बंदूक एवं आरोपीगण द्व ारा बताए गए स्थान से मृत मोर के संपूर्ण अंग के पंख जप्ती पंचनामा प्र.पी.04, 05 व 09 के मुताबिक जप्त किया गया एवं उक्त जप्ती कार्यवाही के दौरान सम्मल, बकस एवं रामपाल को मौके पर मोर के पके हुए मांस सहित उपस्थित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तगण से की गई पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा वन्य क्षेत्र लक्कड़डोह से वन्य प्राणी मोर का दुक्कस बंदूक से शिकार करना, मृत मोर के पंख उखाड़कर साफ करना एवं सामूहिक रूप से मोर का

मांस आरोपी सम्मल के घर पकाने के पश्चात पका हुआ मांस आपस में बांट लेना स्वीकार किया है।

07} अभियोजन कथानक के अनुसार ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विचार में लिया जाना उपयुक्त होगा जिसके लिए सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि ''क्या घटना दिनांक 13.08.14 को अभियुक्त सम्मल के आधिपत्य से डेढ़ किलो मोर का पका हुआ मांस गंजी सहित एवं एक नग धुक्कस बंदूक, अभियुक्त बक्कस के आधिपत्य से लगभग आधा किलो मोर का पका हुआ मांस जप्त किया गया एवं तीनों अभियुक्तगण से मोर के संपूर्ण अंग के पंख जप्तीपत्रक प्र.पी.04, 05 व 09 के मुताबिक जप्त किए ?'' इस संबंध में प्रकरण के मुख्य विवेचक एम.एस. सिसोदिया अ.सा.03 ने कथन किया है कि 06 जुलाई 2014 को सुबह ही मुखबीर से सूचना मिली कि 05 जुलाई की रात को भाजी नदी के किनारे पर तांडा बीट के कंपार्टमेंट में मोर का शिकार हुआ है और दो शिकारी बालाडोंगरी निवासी होकर सम्मल का जवाई मेहमानी के लिए आया हुआ है। यह भी सूचना मिली थी कि सम्मल के घर पर मोर का मांस पकाकर खा रहे हैं। उक्त सूचना पर वह स्टाफ के साथ मौके पर बालाडोंगरी सम्मल के घर जाकर देखा तो वहां पर मांस पका हुआ था और बहुत सा मांस आरोपीगण खा चुके थे तथा मौके पर सम्मल और बकस मौके पर ही मौजूद थे, तीसरा आरोपी जो सम्मल का जमाई था वह पीछे से भाग गया था, मौके का पंचनामा प्र.पी.01 व 02 है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने मौके पर ही सम्मल और बकस से पूछताछ कर उनके बताये अनुसार जंगल जाकर यह पाया कि उन्होंने वहां मोर का शिकार करके पंख उखाड़े थे तो उनसे मोरपंख जमा करवाए। उनके द्वारा मौके की जीपीएस रीडिंग ली गई जिस संबंध में पंचनामा प्र.पी.03 बनाया जाना बताया है। साक्षी का आगे यह भी कथन रहा कि वापस आरोपी सम्मल के घर आकर आरोपीगण द्वारा पकाया हुआ मांस जप्त किया जिसके संबंध में प्र.पी.04 व 09 का जप्तीनामा बनाया था। बालाडोंगरी वनरक्षक नाके पर आकर आरोपीगण के विरूद्ध उनके द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध कारित किया जाना पाए

जाने पर प्रकरण कायम कर पंजीबद्ध किया था। साक्षी ने मौके का पंचनामा प्र.पी.01, 02 व 03 के सी से सी तथा जप्ती पंचनामा प्र.पी.04 के सी से सी एवं प्र.पी.09 के बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

08} अभियुक्त सम्मल एवं बक्कस के निवास स्थान से उक्त वन्य प्राणी का मांस, व बंदूक जप्त करने वाले अधिकारी एम.एस.सिसोदिया की कार्यवाही का समर्थन करते हुए जप्तीपत्रक के गवाह बीटगार्ड राजकुमार वरकड़े अ.सा.01 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपीगण सम्मल, बकस एवं रामपाल को जानता है। घटना दिनांक 06.07.14 की है जब वह बालाडोंगरी परिक्षेत्र में बीटगार्ड था। मुखबीर द्वारा परिक्षेत्राधिकारी एवं परिक्षेत्र सहायक को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया गया है। उक्त सूचना पर वन परिक्षेत्राधिकारी सिसोदियाजी, परिक्षेत्र सहायक जांगड़ेजी और बूढ़ीमाई का बीटगार्ड बिसराम तथा वह आरोपी सम्मल के मकान में गए तथा तलाशी के दौरान सम्मल के मकान से पका हुआ मांस गंजी सहित प्राप्त हुआ जिसे देखने पर लगा कि उक्त पका हुआ मांस मोर का है जो लगभग आधा किलो की मात्रा में था। उसने मौके का पंचनामा वन अधिकारी कर्मचारी एवं स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बनाया जो प्र.पी.01 है। साक्षी का यह भी कथन रहा कि उसके पश्चात वे लोग बकस के यहां गये जहां तलाशी लेने के दौरान एक गंजी में पका हुआ मांस जो देखने से मोर का प्रतीत होता था एवं लगभग आधा किलोग्राम का था, को प्राप्त कर मौके पर उसके द्वारा वन अधिकारी तथा कर्मचारी एवं स्वतंत्र गवाहों के समक्ष प्र.पी.02 का पंचनामा बनाया था। साक्षी ने कथन किया है कि वे लोग उस स्थान पर गये जहां आरोपीगण ने मोर का शिकार किया था जहां जाकर उन्होंने मोर पंख जप्त किए जिसके संबंध में प्र.पी.03 का पंचनामा बनाया। उसने सम्मल से जप्त किए गए मोर का पका हुआ मांस एवं गंजी तथा दुक्कस बंदूक के संबंध में जप्तीनामा एवं वन अधिकारी, कर्मचारी एवं मौके के गवाह के सामने प्र.पी.04 का पंचनामा बनाया था। जप्तशुदा मोरपंख के संबंध में वन अधिकारी, कर्मचारी तथा गवाहों के समक्ष प्र.पी.05 का जप्तीपत्र बनाया था। साक्षी ने पंचनामा प्र.पी.01, 02,

03 एवं जप्तीनामा प्र.पी.04 व 05 पर स्वयं के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए हैं। स्वतंत्र गवाह शिवदयाल अ.सा.05 ने भी विवेचक के कथनों का आंशिक रूप से समर्थन करते हुए घटना दिनांक को उसके समक्ष आरोपी सम्मल से पका हुआ मांस गंजी सहित जप्त करना बताया है और पंचनामा प्र.पी.01, जप्तीनामा प्र.पी.04, 05 व 09 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। गोलमन भलावी अ.सा.05 ने भी मौका पंचनामा प्र.पी.01, जप्तीनामा प्र.पी.04, 05 व 09 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है।

09} उपवनक्षेत्रपाल विजय कुमार अ.सा.02 ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक को उसे रेंजर साहब द्वारा बताया गया कि ग्राम बालाडोंगरी में आरोपीगण द्वारा मोर पक्षी का शिकार कर मांस पकाकर खाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है वहां जाना है तब वह, रेंजर साहब बालाडोंगरी बीटगार्ड बूढ़ीमाई बीटगार्ड, बालाडोंगरी वन समिति के अध्यक्ष गोलमन और ग्राम कोटवार शिवदयाल आरोपी सम्मल के घर गए। उन लोगों ने सम्मल को आवाज देकर बुलाने पर वह बाहर आया उस समय उसके घर में उसकी पत्नी तथा बच्चे मौजूद थे। उन्होंने सम्मल से पूछा कि उसने मोर का शिकार किया है तो पहले वह ना–नुकर करता रहा बाद में स्वीकार कर लिया, उसने अपने घर के पीछे तरफ की छपरी से एक गंजी जिसमें लगभग आधा किलो पका मांस था, लेकर आया जिसे उसने अपने 35–40 साल की नौकरी के अनुभव पर मोर का मांस होना पाया। साक्षी का यह भी कथन रहा कि सम्मल ने यह बताया कि उसके साथ आरोपी बकस एवं रामपाल भी थे। उसके पश्चात वे लोग बकस के घर गए जिसने भी अपने घर से एक गंजी में पका हुआ मांस लेकर आया। उक्त मांस भी मोर का मांस होना प्रतीत होता था जो लगभग आधा किलो था। आरोपी सम्मल और बकस के घर जाने के संबंध में बीटगार्ड बालाडोंगरी द्वारा मौके का पंचनामा प्र.पी.01 व 02 बनाया था। यह भी कथन किया है कि उसने आरोपी सम्मल का बयान लिया जिसमें उसने बताया कि उसके साथी बकस, रामपाल के साथ मिलकर टांडा बीट जो आरएफ 37 लक्कड़डोह के पास में मोर को बंदूक से मारा है तो उन्होंने उनसे जगह बताने के लिए कहा। आरोपीगण उन्हें साथ ले गये

और शिकार करने की जगह बताई जहां मोर पंख वगैरह पड़े थे जसके संबंध में बीट प्रभारी बरखेड़ा द्वारा प्र.पी.03 का मौका पंचनामा बनाया था। उसने सम्मल, बकस एवं रामपाल के बयान प्र.पी.06, 07 एवं 08 के लिये थे। साक्षी ने मौके का पंचनामा प्र.पी. 01, 02 व 03 के बी से बी तथा आरोपीगण के बयान प्र.पी.06 लगायत 08 पर ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये हैं।

10} वनरक्षक बिसराम परते अ.सा.04 ने भी पंचनामा प्र.पी.01 व 02, जप्तीनामा प्र.पी.04, 05 व 09 की कार्यवाही का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक 06.07.14 की है उस समय वह बूढ़ीमाई बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य एवं परिक्षेत्र सहायक बालाडोंगरी को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बालाडोंगरी में वन्य प्राणी मोर का शिकार किया गया है। उक्त सूचना पर परिक्षेत्राधिकारी एवं परिक्षेत्र सहायक बालाडोंगरी वनग्राम बूढ़ीमाई आकर उन्हें साथ लेकर बालाडोंगरी ग्राम में सम्मल वल्द परसू के घर पहुंचकर उसके मकान की तलाशी ली गई, मकान के आसपास भी घूमकर देखा गया। मकान के भीतर घुसकर उन्होंने बर्तनों को देखा तो गंजी में मोर का पका हुआ मांस आधा–एक किलो के लगभग उन्हें प्राप्त हुआ जिसके संबंध में मौके का पंचनामा प्र.पी.01 है। साक्षी का यह भी कथन रहा कि आरोपी बकस वल्द सूरत के घर पहुंचकर वहां उन्होंने उसके मकान की तलाशी ली उसके मकान में भी गंजी में मोर का पका हुआ मांस प्राप्त किया फिर बकस से पूछे जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त मांस उन्होंने सरकारी जंगल से मोर मारकर गांव के ही दो व्यक्ति सम्मल एवं रामपाल के साथ मांस पकाकर खाने के उद्देश्य से लाया था। इसके बाद पूछे जाने पर कि शिकार क्यों किया तो मांस पकाकर खाने के उद्देश्य से मोर मारकर घर लाना बताया जिसके संबंध में प्र.पी.02 का पंचनामा तैयार किया जाना बताया है। आगे कथन किया है कि पश्चात में सम्मल और बकस के समक्ष परिक्षेत्र अधिकारी गवासेन एवं परिक्षेत्र सहायक बालाडोंगरी की उपस्थिति में जप्तीनामा प्र.पी.04 एवं 09 का बनाया था। साक्षी ने पंचनामा प्र.पी.01 व 02 के डी से डी जप्तीनामा प्र.पी.04 के

डी से डी एवं प्र.पी.09 के सी से सी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुए आगे यह कथन किया है कि तत्पश्चात उनसे और पूछताछ किए जाने पर वन्य प्राणी मोर टांडा बीट के कक्ष क्रमांक आरएफ 327 से अथालडोह नदी के किनारे से मारकर लाना तथा उसी स्थान पर उसके पंख इत्यादि उखाड़कर फेंकना बताया था तब दोनों आरोपीगण ने सभी अधिकारी, कर्मचारी और पंचों को साथ लेजाकर उस स्थान पर जहां पंख उखाड़कर फेके गये थे, ले गये। उनके द्वारा उखाड़े गये पंखों का उन्हीं के द्वारा संग्रहण कराया जिसके संबंध में प्र.पी.03 का पंचनामा बनाया था, मोरपंख का जप्तीनामा प्र.पी.05 है। साक्षी का आगे यह भी कथन रहा कि संग्रहण करते समय अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ्स भी लिये गये एवं पूछे जाने के पश्चात उक्त स्थान पर ही पंख उखाड़ना एवं मांस वहीं से घर ले जाना बताााय था तब उसमें सम्मल एवं बकस को वनरक्षक बीट नाका बालाडोंगरी ले जाकर पीओआर प्रकरण इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण की थी। साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके सामने आरोपी बकस को उपवनक्षेत्रपाल बालाडोंगरी से प्र.पी.14 के गिरफ्तारीपत्र अनुसार गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के दौरान उसके समक्ष आरोपी की जामा तलाशी ली गई जिसके संबंध में जामा तलाशी पंचनामा प्र.पी.15 बनाया था। परिक्षेत्र अधिकारी बालाडोंगरी द्वारा उससे पूछताछ कर उसके प्र.पी.18 के बयान लिया जाना बताया है। उक्त साक्षी ने पंचनामा प्र.पी.03 के डी से डी, जप्तीनामा प्र.पी.05 के सी से सी गिरफ्तारीपत्र प्र.पी.14 व 15 के बी से बी तथा बयान प्र.पी.18 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए हैं। प्रधान आरक्षक कैलाश झारिया अ.सा.07 द्वारा यह कथन किया है कि वनपरिक्षेत्र गवासेन सामान्य जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 2 दिनांक 02.09.14 को वन अपराध क्रमांक 813/14 दिनांक 06.07.14 में जप्तशुदा बंदूक एक नग सीलबंद हालत में डिप्टी रेंजर विजय कुमार द्वारा रक्षित केंद्र बैतूल भेजी गई थी जिसे उसके द्वारा सीलबंद बंदूक खोलकर जांच की गई जिसमें जप्तशुदा बंदूक एक नाल भरमार ओएमएल जो चालू हालत में होना एवं उक्त भरमार बंदूक के साथ काटन की सफेद रस्सी एवं बंदूक

में बारूद भरने की रॉड लगी होना जिसे जांच पश्चात पुनः सीलबंद कर शस्त्र परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.24 होना जिसके ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये हैं।

11} प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा यह प्रतिरक्षा आधार लिया गया है कि मुखबिर की सूचना का कोई पंचनामा नहीं बनाया गया। आरोपी के मकान की तलाशी बिना सर्च वारंट के की गई, वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए थे उनके द्वारा प्रकरण को पढ़ने के बाद साक्ष्य दी गई है। मोर के मांस का सेंपल लिया गया इस बाबत कोई जप्ती नहीं है। जप्तशुदा मांस विशेषज्ञ को जांच हेतु भेजने बाबत कोई पत्र अभिलेख में संलग्न नहीं है तथा जप्तशुदा मांस को विधिवत सीलबंद कर भेजा गया ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। प्रकरण में जिस मकान से मांस जप्त किया गया है आरोपी सम्मल एवं बकस का है यह अभियोजन ने प्रमाणित नहीं कराया है। मौका पंचनामा प्र.पी.02 में बूढ़ीमाई में सम्मल के घर से जप्ती होना बताया है तथा बयानों में सम्मल व बकस के मकान से बालाडोंगरी से जप्ती दर्शाई है। न्यायालयीन कथनों में दोनों आरोपी से अलग–अलग मकान से जप्ती दर्शाई है। अभियोजन साक्षीगण ने सम्मल के घर से ही सम्मल व बकस दोनों से मांस जप्त होना बताया है। जबकि अभिलेख के अनुसार बकस के घर से मांस की जप्ती बताई गई है। प्रकरण में सर्च वारंट की तामीली हेतु स्वतंत्र गवाह होना आवश्यक है। प्रकरण में सर्च वारंट नहीं किया गया, बिना सर्च वारंट के की गई तलाशी अवैधानिक है। भवन संयुक्त था जिसमें मां–बाप, भाई–बहिन सभी रहते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉ.एस.के.गुप्ता की साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध नहीं है कि प्रकरण में जप्तशुदा मांस मोर का मांस है। बचाव पक्ष की ओर से अपने उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में निम्न सम्माननीय न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए हैं : **पप्पी उर्फ सुखविंदरसिंह बनाम म.प्र.राज्य 2007(III) म.प्र.वी.नो.56, स्वामी किस्कू व अन्य बनाम बिहार राज्य 2006 क्रि. लॉ.ज.2526, जयवीरसिंह बनाम दिल्ली प्रशासन 1995 क्रि.लॉ.ज.1477, येल्वुरी मनोहर बनाम आंध्रप्रदेश राज्य क्रि.लॉ.ज.4594, अशोकसिंह बनाम म.प्र.राज्य**

1987(II) म.प्र.वी.नो.336, हिमाचलप्रदेश राज्य बनाम एडवर्ड सेमुअल 2001 क्रि. लॉ.ज.1356 प्रस्तुत किए गए हैं।

12} प्रकरण के विवेचक द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर कि आरोपीगण द्वारा वन्य प्राणी मोर का शिकार किया है और आरोपी सम्मल के घर मोर का मांस पका कर खा रहे हैं, तत्काल मौके पर पहुंच कर आरोपीगण को पके हुए मांस सहित पकड़ा। अभियोजन द्वारा दर्शित उक्त साक्ष्य से अभियुक्त के घर से वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जप्तीपत्रक प्र.पी.04, 05 व 09 का सामान अभियुक्तगण सम्मल एवं बक्कस के निवास स्थान से जप्त होना प्रकट होता है। जहां तक अभियुक्तगण के स्वामित्व का मकान होने संबंधी प्रश्न है तो इसके लिए जप्तीस्थल अभियुक्त के स्वामित्व का होना आवश्यक नहीं है बल्कि जप्तशुदा सामान अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त किए जाने बाबत तथ्य सुसंगत प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त स्थल अभियुक्त के स्वामित्व का न होना माना भी जाये तो अभियुक्त के आधिपत्य से सामान को जप्त करने बाबत् अभियोजन साक्ष्य अखंडित रही है। प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा ऐसी कोई प्रतिरक्षा भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी रंजिश के आधार पर उक्त जप्ती की कार्यवाही असत्य रूप से अभियोजन द्वारा की गई है। जिस कारण मुखबिर सूचना का पंचनामा न बनाये जाने तथा सर्च वारंट प्राप्त न किए जाने से अभियोजन का मामला संदिग्ध नहीं हो जाता।

13} जहां तक आरोपीगण से जप्त मांस वन्य प्राणी मोर का मांस होने का प्रश्न है तो इस बाबत अभियोजन द्वारा रसायनिक परीक्षण रिपोर्ट अभिलेख में प्रमाणित कराई गई है। प्रकरण में प्रस्तुत प्र.पी.25 की लैब एनालिसिस रिपोर्ट डीएफओ वेस्ट बैतूल एम.पी.के आवेदन पर दिया जाना दर्शित है। उक्त रिपोर्ट हेतु भेजे गये सेंपल दो कंटेनर में हमदस्त पहुंचाया जाना दर्शित होता है। विवेचक एम.एस.सिसोदिया ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा आरोपीगण से जप्तशुदा मांस का भौतिक परीक्षण करने पर पाया था कि जप्त मांस मोर पक्षी का है जिसके संबंध में उसने प्र.पी.21 का प्रमाणपत्र दिया था और उसने मांस के परीक्षण एवं प्रमाणपत्र बाबत

पशु चिकित्साधिकारी बैतूल को पके हुए मांस का नमूना प्र.पी.22 के प्रतिवेदन सहित भेजा था तथा यह भी कथन किया है कि उसने जप्तशुदा मांस को परीक्षण हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजा था। यह भी कथन किया है कि उसने जप्तशुदा मांस का परीक्षण कराये जाने हेतु वन मंडल अधिकारी को पत्र लिखा था। वन विभाग के प्रकरण क्रमांक 813/74 में जप्त सामग्री को परीक्षण हेतु देहरादून भेजे जाने के संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई तात्विक प्रकृति की चुनौती नहीं दी गई है जिस कारण प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री को परीक्षण हेतु वन्य जीवन संस्थान देहरादून भेजा जाना भी प्रमाणित है। वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा डीएफओ वेस्ट बैतूल, एम.पी.को संबोधित पत्र प्र.पी.25 के माध्यम से भेज गया था एवं उक्त रिपोर्ट में प्रकरण में जपतशुदा सामग्री को मोर का मांस होने के संबंध में रिपोर्ट दी गई है। उक्त रिपोर्ट वन्य जीव विधि संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि धारा '293' दं.प्र.सं.के अंतर्गत सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट होने के नाते साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है।

14} अब प्रकरण में अभियुक्त सम्मल एवं बकस के द्वारा विवेचक के समक्ष किये गये कथन और उसके आधार पर की गई जप्ती कार्यवाही के संबंध में विवेचक द्वारा दी गई साक्ष्य का मूल्यांकन साक्ष्य विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में भी करना समुचित होगा। प्रकरण में अभियुक्त सम्मल के कथन दिनांक 13.08.14 को एवं अभियुक्त बकस के कथन दिनांक 07.07.14 को लेखबद्ध किए गए थे जिनमें उक्त आरोपीगण ने बताया था कि उन तीनों आरोपीगण ने आपसी सलाह–मशविरा कर धुक्कस बंदूक से लक्कड़डोह में वन्य प्राणी मोर का शिकार किया था, मोर को देखते ही सम्मल द्वारा बंदूक चलाई और मोर को मार गिराया फिर तीनों आरोपीगण ने मरे हुए मोर को उठाकर उसके पंख उखाड़े और मोर को साफ कर घर लाये। प्रकरण में जप्तशुदा मोर का मांस आरोपीगण सम्मल एवं बकस द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर उनके द्वारा पेश करने पर जप्त किया गया था जो कि धारा '27' साक्ष्य विधान के अंतर्गत सुसंगत प्रकृति की साक्ष्य है। यद्यपि आरोपी सम्मल के कथन प्र.पी.06 एवं

बकस के कथन प्र.पी.07 में अपराध को स्वीकार करने बाबत भी कई तथ्य शामिल हैं जो कि धारा 25 एवं 26 साक्ष्य विधान के अंतर्गत सुसंगत प्रकृति के नहीं हैं किंतु कुछ तथ्य के सुसंगत न रहने मात्र से समस्त तथ्यों की सुसंगति प्रभावित नहीं होती। इस तरह प्रकरण में अभियोजन द्वारा दर्शित की गई साक्ष्य से अभियुक्त सम्मल के आधिपत्य से डेढ़ किलो मोर का पका हुआ मांस एवं एक धुक्कस बंदूक एवं अभियुक्त बकस के आधिपत्य से आधा किलो मोर का पका हुआ मांस जप्त होना संदेह से परे प्रमणित होता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा यह उपबंधित करती है कि जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह माना जायेगा कि आधिपत्य अवैधानिक है। चूंकि प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा जप्तशुदा सामग्री वन्य प्राणी मोर का मांस न होने के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट चुनौती अभियोजन साक्षीगण को नहीं दी गई है। उक्त रिपोर्ट प्र.पी. 25 एवं विवेचक की साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में जप्तशुदा वस्तु वन्य प्राणी मोर का मांस होना प्रमाणित है। जिस कारण बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त सम्माननीय न्यायदृष्टांत हस्तगत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं हैं।

15} जहां तक प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा विवेचक की साक्ष्य का पूर्णतः समर्थन न करने का प्रश्न है तो विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि विवेचक की साक्ष्य का स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से आवश्यक रूप से समर्थन प्राप्त होना ही चाहिये। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा '134' यह उपबंधित करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिये कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती हैं। इस तरह यह धारा साक्ष्य की गुणवत्ता पर बल देती है। स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न करने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि वास्तव में विवेचक के द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी बल्कि ज्यादा से ज्यादा इससे यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि विवेचक के द्वारा उक्त साक्षीगण के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। किसी साक्षी के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं करने का यह अर्थ भी कदापि नहीं लगाया जा सकता है कि

वास्तव में उक्त प्रकार की कोई कार्यवाही की ही नहीं गयी थी। यह तथ्य तो मात्र विवेचक की साक्ष्य को खण्डित करके ही प्रमाणित कराया जा सकता है।

16} प्रकरण में मुख्य विवेचक एम.एस.सिसोदिया एवं अभियोजन साक्षी राजकुमार वरकड़े अ.सा.01, विजय कुमार अ.सा.02, बिसराम परते अ.सा.04 एवं कैलाश झारिया अ.सा.07 के द्वारा दी गयी साक्ष्य को बचाव पक्ष प्रतिपरीक्षण में विनिर्दिष्ट चुनौती के अभाव में खण्डित कराने में असफल रहा है, जिस कारण स्वतंत्र शिवदयाल अ.सा.05 एवं गोलमन अ.सा.06 साक्षीगण की साक्ष्य से मामले का समर्थन न होने से अभियोजन का मामला किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों में आए छोटे मोटे विरोधाभासों से संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित पाया गया है कि आरोपीगण द्वारा वन परिक्षेत्र बालाडोंगरी सामान्य पश्चिम बैतूल सामान्य में वन्य प्राणी मोर जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के भाग तीन में विनिर्दिष्ट प्राणी है, का अवैध रूप से शिकार कर उसका मांस अपने आधिपत्य में रखे पाए गए।

17} अतः उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष आरोपीगण के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त सन्देह से परे अपना मामला प्रमाणित करने **सफल** रहा है। फलतः अभियुक्तगण को धारा **9, 39 सहपठित धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम** के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

18} दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती कीर्ति कश्यप)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बैतूल, मध्य प्रदेश

पुनश्च : –

19} दंड के प्रश्न पर आरोपीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उनका प्रथम अपराध है, आरोपीगण अत्यंत निर्धन एवं अपने परिवार के एक मात्र अर्जन कर्ता सदस्य है, अतः दंड के संबंध में उदारतापूर्वक विचार किया जावे।

20} निवेदन पर विचार किया गया। आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को वन परिक्षेत्र बालाडोंगरी सामान्य पश्चिम बैतूल सामान्य में वन्य प्राणी मोर जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के भाग तीन में विनिर्दिष्ट प्राणी है, का अवैध रूप से शिकार कर उसका मांस अपने आधिपत्य में रखे पाए जाने के संबंध में दोषसिद्ध किया गया है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं जिस कारण प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। फलतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को **वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 एवं 39/51** के तहत दोषसिद्धि पर निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है : –

सजा तालिका

आरोपीगण	धाराएं	कारावास	अर्थदंड	कुल अर्थदंड	अदायगी में व्यतिक्रम
सम्मल	अ. 9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम ब. 39/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम	3 वर्ष सश्रम एवं 3 वर्ष सश्रम	10,000– रूपए एवं 10,000– रूपए (दस–दस हजार रूपए)	20,000– रूपए (बीस हजार रूपए)	03–03 माह सश्रम

बकस	**अ. 9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम ब. 39/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम**	**3 वर्ष सश्रम एवं 3 वर्ष सश्रम**	**10,000–रूपए एवं 10,000–रूपए (दस–दस हजार रूपए)**	**20,000–रूपए (बीस हजार रूपए)**	**03–03 माह सश्रम**
रामपाल	**अ. 9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम ब. 39/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम**	**3 वर्ष सश्रम एवं 3 वर्ष सश्रम**	**10,000–रूपए एवं 10,000–रूपए (दस–दस हजार रूपए)**	**20,000–रूपए (बीस हजार रूपए)**	**03–03 माह सश्रम**

संपूर्ण अर्थदंड की राशि रूपए 60,000–(साठ हजार रूपए मात्र)

21} अभियुक्तगण को उक्त दोनों कारावासीय सजाएं साथ–साथ भुगताई जावें। अभियुक्तगण को दी गई सजा को उनके द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जावे। अभियुक्तगण के अभिरक्षा संबंधी धारा **428 दं.प्र.सं.** का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

22} वन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्तशुदा मोर के पंख तथा धुक्कस बंदूक, गंजी का अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण करें एवं अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण किया जावे।

23} आरोपीगण को निर्णय की प्रति निशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित
कर पारित किया गया।

(श्रीमती कीर्ति कश्यप)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बैतूल, मध्य प्रदेश

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीमती कीर्ति कश्यप)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बैतूल, मध्य प्रदेश